

सभी प्रकार का पत्राचार भारत सरकार को
संबंधित किया जाना चाहिए जिसका
शीर्षक उद्योग मंत्रालय हो, न कि किसी के
नाम से।
फैक्स : 011-23062626

सं.10(1)/2014-डीबीए-II/एनईआर

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और व्यापार संवर्धन विभाग)

उद्योग भवन, नई दिल्ली -110 011

दिनांक: 01, दिसंबर, 2014

सेवा में,

प्रमुख सचिव / सचिव (उद्योग), उद्योग विभाग,

असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा राज्य सरकार।

विषय: उत्तर पूर्व औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति (एनईआईआईपीपी, 2007) - भविष्य में पंजीकरण के निलंबन के सबंध में ।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को यह संसूचित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर पूर्व औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 के तहत नई औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए।

2. इसलिए, अनुरोध है कि कृपया सभी डीआईसी के महाप्रबंधकों को एनईआईआईपीपी, 2007 के तहत किसी भी नई इकाई को दिनांक 01.12.2014 के पश्चात पंजीकृत नहीं करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का कष्ट करें। इस संबंध में एक अनुपालना रिपोर्ट इस विभाग को दिनांक 02.12.2014 को शाम 05.00 बजे तक प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

हस्ता/-

(अरुण कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 2306 3096

फैक्स: 2306 2626

ईमेल: a.kumar64@nic.in

प्रति:

आयुक्त/निदेशक (उद्योग) विभाग, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा सरकार।

प्रति प्रेषित:

मुख्य सचिव, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा सरकार ।

सूचनार्थ प्रति प्रेषित:

- (I) सीआईएम महोदय के निजी सचिव,
- (ii) एसआईपीपी के पीएसओ
- (iii) एस एवं एफए, डीआईपीपी महोदय के निजी सचिव
- (iv) सीसीए, डीआईपीपी महोदय के निजी सचिव
- (v) जेएस (एसएस), डीआईपीपी महोदय के निजी सचिव
- (vi) निदेशक (पीबी), डीआईपीपी महोदय के निजी सचिव
- (vii) निदेशक (जीके), डीआईपीपी महोदय के निजी सचिव

-

भवदीय,

हस्ता/-

(अरुण कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 2306 3096

फैक्स: 2306 2626

ईमेल: a.kumar64@nic.in

सभी प्रकार का पत्राचार भारत सरकार को संबोधित किया जाना चाहिए जिसका शीर्षक उद्योग मंत्रालय होना चाहिए न कि किसी के नाम से।
फैक्स : 011-23062626

सं.10(1)/20174-डीबीए.-यूएनईआर
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और व्यापार संवर्धन विभाग)
उद्योग भवन, नई दिल्ली -110011
दिनांक: 5 दिसंबर, 2014

सेवा में,

प्रमुख सचिव/ सचिव (उद्योग), उद्योग विभाग,

असम/अरुणाचल प्रदेश/मणिपुर/मेघालय/मिजोरम/नागालैंड/सिक्किम/त्रिपुरा राज्य सरकार ।

विषय: उत्तर पूर्व औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति (एनईआईआईपीपी, 2007) - भविष्य में पञ्जीकरण के निलंबन के सबध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में इस विभाग के पूर्व के समसंख्यक पत्र दिनांक 01.12.2014 का संदर्भ ग्रहण करने के अनुसरण में, अधोहस्ताक्षरी को यह स्पष्ट करने के लिए निर्देशित किया गया है कि उत्तर पूर्व औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (एनईआईआईपीपी, 2007) के तहत स्कीम को न तो रद्द किया गया और न ही वापस लिया गया है। एनईआईआईपीपी के तहत योजना के लिए आबंटित धनराशि का पूर्णतया उपयोग किया गया है और योजना एवं वार्षिक आवंटन की अतिरिक्त देयता को वहन किया गया है। डीआईपीपी ने इस मुद्दे को संगत मंत्रालयों के साथ उठाया है।

भवदीय,

हस्ता/-

(अरुण कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 2306 3096

फैक्स: 2306 2626

ईमेल: a.kumar64@nic.in

प्रति:

आयुक्त / निदेशक (उद्योग) विभाग, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा।

प्रति प्रेषित:

मुख्य सचिव, असम सरकार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा।

सूचनार्थ प्रति प्रेषित:

- (I) सीआईएम महोदय के निजी सचिव,
- (ii) एसआईपीपी के पीएसओ
- (iii) एस एवं एफए, डीआईपीपी महोदय के निजी सचिव
- (iv) सीसीए, डीआईपीपी महोदय के निजी सचिव
- (v) जेएस (एसएस), डीआईपीपी महोदय के निजी सचिव
- (vi) निदेशक (पीबी), डीआईपीपी महोदय के निजी सचिव
- (vii) निदेशक (जीके), डीआईपीपी महोदय के निजी सचिव

-

भवदीय,

हस्ता/-

(अरुण कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 2306 3096

फैक्स: 2306 2626

ईमेल: a.kumar64@nic.in